

कार्यालय नगरपालिका मंडल सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

—सामाजिक सुरक्षा पेंशन सत्यापन रिपोर्ट—

☐ वृद्धावस्था पेंशन

☐ निःशक्तजन

☐ विधवा /परित्यक्तता/ तलाकशुदा पेंशन

आवेदन क्रमांक आवेदन दिनांक स्कीम

आवेदक का नाम —

आवेदक के पिता/पति का नाम

वार्ड नम्बर सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

साक्ष्य प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है उक्त प्रार्थी/प्रार्थीया को भली प्रकार/ व्यक्तिता पर जानता

हूँ यह मेरे वार्ड के निवासी करते हैं तथा उक्त आवेदनकर्ता पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन की

☐ पात्रता ☐ अपात्रता रखता है।

हस्ताक्षर मय मोहर वार्ड पार्शद

—: कार्यालय जांच रिपोर्ट—

सत्यापन रिपोर्ट— ☐ पात्र ☐ अपात्र अपात्र का कारण

1. पेंशनर एवं पेंशनर के परिवार का कोई भी सदस्य केन्द्र सरकार/राज्य सरकार में सेवारत है एवं सरकारी पेंशन ली जा रही है? (हां ☐ नहीं ☐)
2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत आय प्रमाण—पत्र सही है? (हां ☐ नहीं ☐)
3. आवेदक की दोबारा शादी हुई है?(केवल विधवा व परित्यागता के लिए) (हां ☐ नहीं ☐)
4. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विशेष योग्यजन प्रमाण—पत्र (विकलांग) सही है? (हां ☐ नहीं ☐)
5. आवेदन को पूर्व में आवेदन निरस्त किया गया है या नहीं (हां ☐ नहीं ☐)

जांचकर्ता
नगरपालिका सूरतगढ़

शाखा प्रभारी
नगरपालिका सूरतगढ़

अधिशायी अधिकारी
नगरपालिका सूरतगढ़

—:शपथ—पत्र:—

मैं सत्यनिष्ठा / शपथपूर्वक ब्यान देता हूँ कि:—

1. उपरोक्त/संलग्न आवेदन में मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी व तथ्य पूर्णतया सत्य है। यदि कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो आवेदन निरस्त किये जाने के साथ-साथ भुगतान की गई समस्त पेंशन राशि वूसल किये जाने का अधिकारी होगा।
2. सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित बंददमक प्रतिया सही है। एवं किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या जालसाजी नहीं की गई है।
3. मैं यह बात अच्छी तरह से समझता हूँ कि यदि मेरे द्वारा फेर-बदल किया गया है या किसी तथ्य को छुपाया गया है या किसी तथ्या को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है या मैंने सरकार की किसी भी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया है तो सरकार आईपीसी की धारा 177,197,198,199 एवं 200 के तहत मेरे विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कारवाई करने के लिये स्वतन्त्र है व दोषी पाये जाने पर मुझे 3 वर्ष तक की कैद हो सकती है।
4. मैं/पत्नी/पुत्र मे से कोई भी केन्द्रीय सरकार/राजकीय सरकार एवं अन्य राजकीय उपक्रम में सेवारत नहीं है। और ना ही मेरे परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा सरकारी पेंशन ली जा रही है।

दिनांक :-

हस्ताक्षर आवेदक